राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी का नामः– शकुन्तला (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांक :–

–: आदेश :–

प्रार्थी/अधिवक्ता व खाता दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र एंव पटवारी हल्का **झटावा खुर्द** व भू0अ0अ0नि0 **मलसीसर** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मलसीसर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण ग्राम **बासहरीपुरा** तहसील **मलसीसर** जिला झुंझुनूं की जमाबन्दी सम्वत् **2074–2077** के खाता संख्या **51** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	**बासहरीपुरा**	खाता संख्या **51** के भूमि ख.न. **124** व **174** कुल किता **02** रकबा **2.2700 है0**	अमरचन्द पुत्र हीराराम	**अमरसिंह पुत्र हीराराम**

नोटः– खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

क्रमांकः– राजस्व/2021/ 172-74 दिनांक :– 05/01/2021

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार मलसीसर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवायी जानी सुनिश्चित करें।
2. अमरसिंह पुत्र हीराराम निवासी बासहरीपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू को सूचनार्थ।
3. आदेश रक्षित पत्रावली।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः— शकुन्तला चौधरी

राजस्व वाद सं. 67/2019

1. मनीषा देवी उर्फ मनेषा देवी उम्र 47 साल पत्नी स्व. अमर सिंह उर्फ अमरचन्द जाति जाट निवासी बास हरिपुरा तन झटावा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
2. श्रीमती कौशल्या देवी उम्र 21 साल पुत्री स्व. अमर सिंह उर्फ अमरचन्द पत्नी राजेश जाति जाट निवासी बास हरिपुरा तन झटावा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

—प्रार्थीयागण

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र स्व. हरिराम
2. रामकोरी पत्नी स्व. हरिराम
3. विजय सिंह पुत्र स्व. हरिराम

} समस्त जाति जाट निवासीगण बास हरिपुरा तन झटावा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

4. प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा निराधनू त. मलसीसर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रा.पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बास हरिपुरा प0ह0 झटावा खुर्द की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 124 रबका 2.15 है0 ख.न. 174 रकबा 0.12 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.27 हैक्टयर अवस्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी अमरचंद पु0 हीराराम, मोहरसिंह पु0 हीराराम, रामकोरी पत्नी हीराराम एवं विजयसिंह पु0 हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी सं. 1 मनीषा देवी उर्फ मनेषा देवी पत्नी स्व. अमरसिंह प्रार्थी सं. 2 श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री स्व. अमरसिंह का राजस्व रिकार्ड में पति व पिता का नाम अमरसिंह के स्थान पर अमरचंद दर्ज रिकार्ड हो। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया है। मनीषा देवी उर्फ मनेषा के पति एंव कौशल्या देवी के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र में अमरसिंह नाम दर्ज है। तहसीलदार मलसीसर कि जांच रिपोर्ट अनुसार अमरचंद पुत्र हीरराम के स्थान पर अमरसिंह पु0 हीराराम किया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित अमरचंद के स्थान पर अमरसिंह दुरूस्त किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम बास हरिपुरा प0ह0 झटावा खुर्द की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 124 रकबा 2.15 है0 ख.न. 174 रकबा 0.12 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.27 हैक्टयर अवस्थित है। इस भूमि की खातेदारी अमरचंद पु0 हीरराम हि0 1/4 दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में अमरसिंह के स्थान पर अमरचंद दर्ज हो गया था। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। अमरचंद का अन्य दस्तावजों में अमरसिंह नाम ही दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड अमरचंद के स्थान पर अमरसिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगाणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बास़ हरिपुरा प0ह0 झटावा खुर्द की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 124 रकबा 2.15 है0 ख.न. 174 रकबा 0.12 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.27 हैक्टयर जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित अमरचंद पु0 हीराराम के स्थान पर अमरसिंह पु0 हीराराम दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर